भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 33
22.07.2024 को उत्तर के लिए

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

33. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महादेई वन्यजीव अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के देखे जाने की खबरों के मद्देनजर सरकार द्वारा महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या गोवा सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने महादेई अभयारण्य में एक नए बाघ अभयारण्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): बाघों के लिए उचित पर्यावास और उनके शिकार की उपलब्धता के आधार पर, एनटीसीए अथवा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाघ रिजर्व घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए पत्र लिखा है। तथापि, महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए गोवा राज्य से कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता है।

*****